न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।

फौजदारी पुनरीक्षण वाद संख्या - **285/2025**

रतन यादव

बनाम

बिहार सरकार

21.07.2026

आवेदक की ओर से पैरवी नहीं है, वाद पुकारा गया, बार बार पुकार पर न तो आवेदक न हीं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत् फौजदारी पुनरीक्षण वाद, पुनरीक्षणकर्ता देवेन्द्र कुमार की ओर से अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिवान के द्वारा पारित एम0वाद0संख्या 1727/2025 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2025 को अपास्त करने के बाबत् प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत् फौजदारी पुनरीक्षण वाद निर्धारित समयावधि के अर्न्तगत दाखिल नहीं है, यानी कि यह फौजदारी पुनरीक्षण वाद कालबाधित है। आवेदक पक्ष को विलंब माफ करने का आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लगभग सात माह का समय दिया गया है किन्तु इनके द्वारा विलंब माफी का आवेदन अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि पुनरीक्षणकर्ता को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः परिस्थितियें पर विचार करते हुए, कि प्रश्नगत् फौजदारी पुनरीक्षण वाद कालबाधित है एवं पुनरीक्षणकर्ता की ओर लिमिटेशन एक्ट के अर्न्तगत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है– के आलोक में प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है।

कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें तथा इस अभिलेख को अभिलेखागृह सीवान में जमा करें।

लेखापित
sd/-
सत्र न्यायाधीश, सिवान।
21-07-2026

Date of Judgement/order	21-07-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	21-07-2026
Date of Uploading	24 -07-2026
Uploaded by	Ajit kumar